कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक–वा0क0अधि0 / युगल पीठ / 681 / 2023 दि0::लखनऊ::दि0::मई 24, 2023

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के आदेश संख्या–563 / 2023 दिनांक 24.04.2023 द्वारा पीठ–1, 2 व 3 लखनऊ में लम्बित युगल पीठ के वादों के निस्तारण हेतु लखनऊ में दिनांक 29.05.2023 से 31.05.2023 तक सदस्य पीठ–1, मेरठ एवं सदस्य पीठ–2, लखनऊ की युगल पीठ गठित की गयी है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, मेरठ ने अपने पत्र संख्या–125 / 2023 दिनांक 24.05.2023 द्वारा सूचित किया है कि माह जून–2023 में दिनांक 01.06.2023 व 02.06.2023 तक मुरादाबाद पीठ में उन्हें नामित करते हुए युगल पीठ गठित की गयी है। उक्त परिस्थितियों में सदस्य पीठ–1, मेरठ द्वारा लखनऊ में दिनांक 29.05.2023 से 31.05.2023 तक गठित युगल पीठ से उन्हें मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः सदस्य पीठ–1, मेरठ के पत्र दिनांक 24.05.2023 पर सम्यक विचारोपरांत पूर्व निर्गत आदेश संख्या–563 / 2023 दिनांक 24.04.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए लखनऊ में दिनांक 29.05.2023 से 31.05.2023 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

मुख्यालय के आदेश संख्या–563 / 2023 दिनांक 24.04.2023 की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0 / 24.05.2023
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / युगल पीठ / 681 / 2023. तद्दिनांकः:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2 व 3, लखनऊ।
2– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, मेरठ को उनके पत्र संख्या–125 / 2023 दिनांक 24.05.2023 के अनुक्रम में।
3– वरिष्ठ सहायक (विवरण / यात्रा भत्ता / कम्प्यूटर), मुख्यालय ।
4– सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,
(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।